



2026:AHC:49565

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद  
रिट - बी सं. - 698 वर्ष 2026

राधे श्याम

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : कैलाश नाथ सिंह

प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 54

**माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक**

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई है:-

**“प्रतिवादी संख्या-2/उप संचालक चकबन्दी, जनपद जौनपुर, को यह आदेश/निर्देश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में कोई रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए कि वे पुनरीक्षण संख्या 555 सन् 2025 तथा कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या 2019531436000012 (राधे श्याम बनाम विजय बहादुर), धारा 48(1), उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, से संबंधित वाद, जो ग्राम सियरावासी, परगना करिया मेढ़ा, तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर स्थित है, का निर्णय करें।”**

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि उपर्युक्त वाद के शीघ्र निस्तारण हेतु कोई निर्देश जारी कर दिया जाए।
4. उपर्युक्त परिस्थितियों में, इस प्रकरण को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। अतः यह न्यायालय यह उपर्युक्त समझता है कि वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाए, बिना इस रिट याचिका में उठाए गए विवाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए हुए, तथा प्रतिवादी संख्या-2 को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त वाद का निर्णय विधि के अनुसार, कारणयुक्त एवं स्पष्ट आदेश पारित करते हुए, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत तथा किसी



भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से **छह माह** की अवधि के भीतर करें।

5. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, यह याचिका **अंतिम रूप से निस्तारित** की जाती है।

**11 मार्च, 2026**

**वीआर**

**(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)**